

**परिशिष्ट-1**  
**आवेदन प्रारूप (निःशुल्क)**

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु**  
**आवेदन प्रारूप**

दिनांक.....

प्रति,

1. आयुक्त नगर निगम  
नगर निगम.....  
जिला .....म.प्र.।  
या
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर निगम/नगर परिषद.....  
जिला .....म.प्र.।  
या
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत .....  
जिला .....म.प्र.।

आवेदिका (वधू) का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	आवेदिका के वर का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
--	--

विषय:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (संशोधित योजना 2022) अंतर्गत सहायता प्रदाय करने बावत।

-----  
**भाग- 1 : आवेदिका (वधू) की जानकारी**

1. वधू की 9 अंकों की समग्र आईडी क्रमांक  

(वधू की समग्र आईडी यदि नहीं हो तो संबंधित निकाय द्वारा समग्र आईडी उपलब्ध कराई जायेगी)

--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. वधू का 12 अंकों का आधार नम्बर  

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. वधू का नाम .....
4. वधू की माता का नाम .....
5. वधू के पिता/अभिभावक का नाम .....
6. जाति वर्ग .....

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
7. वधू की जन्म तिथि ...../...../.....आयु..... (विवाह के दिनांक को वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है)

8. वधू/अभिभावक का 10 अंकों का मोबाईल नम्बर.....
9. वधू का वर्तमान निवासी स्थान व पूर्ण पता .....  
निवासी..... ग्राम/नगर.....  
निकाय.....जिला.....राज्य .....
10. वधू/ वधू के अभिभावक का मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता.....  
निवासी..... ग्राम/नगर.....  
निकाय.....जिला.....राज्य .....
11. क्या वधू श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवार की सदस्य है? हां/नहीं-  
यदि हां तो श्रमिक कार्डधारी का नाम..... कार्ड क्रमांक .....  
जारी दिनांक .....कार्ड वैधता दिनांक .....आवेदन प्रथम, द्वितीय  
अथवा तृतीय कन्या हेतु किया गया है यहाँ स्पष्ट करें .....
12. क्या वधू दिव्यांग है? हां / नहीं  
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार ..... प्रतिशत..... तथा  
यूडीआईडी कार्ड का नम्बर .....
13. कल्याणी(विधवा)/परित्यक्ता होने की स्थिति में पूर्व पति का नाम  
..... एवं पूर्व विवाह होने की दिनांक .....
14. परित्यक्ता होने की स्थिति में विवाह विच्छेद होने का  
दिनांक.....(न्यायलयीन आदेश के दिनांक को यहां भरा जाये)
15. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में स्व. पति के मृत्यु प्रमाण पत्र का  
क्रमांक..... दिनांक .....

आवेदिका(वधू) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

## भाग- 2

### :: वधू का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं ..... पिता .....

निवासी..... ग्राम/नगर.....

निकाय.....जिला.....राज्य .....

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूँ, कि –

हस्ताक्षर		
1.	मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ, अथवा;	<input type="checkbox"/>
2.	मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अथवा;	<input type="checkbox"/>
3	मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु मेरा पति से कानूनी तलाक हो चुका है	<input type="checkbox"/>

मैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता योजना प्राप्त करने हेतु पात्र हूँ। ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाकर सहायता राशि प्राप्त कर ली गई है तो मुझसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राशि जिला प्रशासन द्वारा वसूल की जा सकती है। मैं विवाह अपनी सहमति से कर रही हूँ साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का उपयोग विभागीय योजनाओं में करने पर सहमत हूँ।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदिका (वधू) के हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान

**भाग- 3**  
**:: वर की जानकारी ::**

1. वर की समग्र आईडी क्रमांक 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
(वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं)
2. वर का आधार कार्ड नम्बर 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. वर का नाम .....
4. पता..... ग्राम/नगर.....  
निकाय..... जिला..... राज्य.....
5. वर की माता का नाम .....
6. वर के पिता/अभिभावक का नाम .....
7. वर की जाति वर्ग ..... 

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
8. वर की जन्म तिथि ...../...../..... आयु..... (विवाह के दिनांक को वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है।)
9. वर का मोबाईल नम्बर .....
10. क्या वर दिव्यांग है? हां / नहीं  
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार ..... प्रतिशत.....  
तथा यूडीआईडी कार्ड का नम्बर .....

वर के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

#### भाग- 4

### **:: वर का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र ::**

मैं ..... पिता .....

पता..... ग्राम/नगर.....

निकाय.....जिला.....राज्य .....

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं, कि –

हस्ताक्षर			
1.	मेरा इससे पहले कभी विवाह नहीं हुआ, अथवा;	<input type="checkbox"/>	
2.	मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु पत्नी की मृत्यु हो गई है, अथवा;	<input type="checkbox"/>	
3	मेरा पूर्व में विवाह हुआ किन्तु पत्नी से कानूनी तलाक हो चुका है,	<input type="checkbox"/>	

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। मैं यह विवाह अपनी सहमति से कर रहा हूं साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का उपयोग विभागीय योजनाओं में करने पर सहमत हूं।

दिनांक .....

स्थान .....

वर के हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान

## भाग- 5

### :: विवाह की जानकारी ::

1. आवेदन का दिनांक .....
2. विवाह दिनांक ..... विवाह स्थान .....
3. निकाय का नाम ..... जिला ..... म.प्र.

#### संलग्न दस्तावेज का विवरण -

1. वधू/वधू के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र,
2. वधू व उसके वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति (वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं),
3. वधू व वर का आधार कार्ड की छायाप्रति,
4. वधू व वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधू व वर का निम्न में से कोई एक दस्तावेज -

<input type="checkbox"/>	1) स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.)	<input type="checkbox"/>	2) अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
<input type="checkbox"/>	3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाण पत्र	<input type="checkbox"/>	4) मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म तिथि अंकित हो
<input type="checkbox"/>	5) शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र	<input type="checkbox"/>	6) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड
<input type="checkbox"/>	7) अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार्य हो		

5. वधू व उसके वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ।
6. वधू व वर का मोबाईल नम्बर
7. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
8. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश की प्रतिलिपि,
9. यदि आवेदक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदिका(वधू) के पति के हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान

वर के हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान

**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**

कार्यालय नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत

.....जिला .....म.प्र.

**:: पावती ::**

क्रमांक .....

दिनांक .....

आवेदिका(वधू)..... समग्र आईडी .....

वर..... समग्र आईडी .....

वधू पता..... ग्राम/नगर.....

निकाय..... जिला.....राज्य .....

द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थान ..... दिनांक

.....में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया जिसके साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न पाये गये हैं।

**संलग्न दस्तावेज का विवरण -**

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र,
2. वधू व वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति,
3. वधू व वर आधार कार्ड की छायाप्रति,
4. वधू व वर के का आयु प्रमाण पत्र,
5. वधू व वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ,
6. कल्याणी(विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,
7. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश,
8. पंजीकृत श्रमिक होने की स्थिति में श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति ।

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत,

जिला .....मध्यप्रदेश

## मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत जांच प्रतिवेदन

दिनांक .....

1. आवेदिका का नाम : .....
2. पता : .....ग्राम/नगर.....  
निकाय..... जिला.....राज्य .....
3. माता का नाम : .....
4. पिता/अभिभावक का नाम : .....
5. जन्मतिथि/आयु :-  
a. वधू -        /        /        (dd/mm/yyyy)  
b. वर -        /        /        (dd/mm/yyyy)
6. आवेदिका विधवा/परित्यक्तता श्रेणी की है तो उसका विवरण.....  
.....  
.....
7. जांच अधिकारी की टीप:-जांच अधिकारी द्वारा जांच पश्चात पात्र/ अपात्र पाये जाने की स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जावे-

.....  
.....  
.....  
.....

हमारे द्वारा उक्त आवेदनकर्ता की पात्रता का सूक्ष्मता से परीक्षण कर यह जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

## जांच समिति (सदस्य) के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

नाम	पदनाम	हस्ताक्षर



(पोर्टल से जनरेट होगा)  
**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**

कार्यालय नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत

.....जिला .....म.प्र.

**// स्वीकृति आदेश //**

क्रमांक .....

दिनांक .....

आवेदिका (वधू) ..... पिता .....

मूल निवास पता ..... ग्राम/नगर.....

निकाय.....जिला .....म.प्र. द्वारा

सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थान ..... दिनांक ..... को

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदन को परीक्षण उपरांत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत पात्रता के सभी प्रावधानों के अनुसार पात्र पाया गया है। अतः विवाह सहायता हेतु रूपये 38000/- की उपहार सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु, रूपये 11000/- कन्या को अकाउन्ट पेयी चेक (A/C Payee Cheque) से प्रदाय किये जाने हेतु एवं रूपये 6000/- आयोजनकर्ता निकाय को विवाह आयोजन व्यवस्था हेतु इस प्रकार कुल राशि रूपये 55000/- की राशि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मद मांग संख्या-34(सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण)-शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-0101/0102/0103-सामान्य/ अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति - 6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)-42-सहायक अनुदान-007- अन्य के अंतर्गत देय होगी।

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/

जनपद पंचायत,

जिला .....मध्यप्रदेश

(पोर्टल से जनरेट होगा)

## मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

कार्यालय नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत

.....जिला .....म.प्र

### // अस्वीकृति आदेश //

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका(वधू).....  
 पिता..... निवासी ग्राम/नगर .....  
 तहसील/विकासखण्ड.....जिला.....  
 मध्यप्रदेश द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थान .....  
 दिनांक .....हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए प्राप्त  
 आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

2. परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजों के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- 1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी नहीं
  - 2 आवेदिका(वधू) व वर की 9 अंको की समग्र आईडी नहीं
  - 3 आवेदिका(वधू) व वर का आयु प्रमाण पत्र नहीं या अस्वीकार
  - 4 आवेदिका(वधू) व वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ नहीं
  - 5 अन्य कारण (पूर्ण विवरण दें) .....
- .....
- .....

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर  
 आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/  
 जनपद पंचायत,  
 जिला .....मध्यप्रदेश

(पोर्टल से जनरेट होगा)

**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**

कार्यालय नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/ जनपद पंचायत

.....जिला .....म.प्र.

**// आमंत्रण पत्र //**

क्रमांक .....

दिनांक .....

आवेदिका (वधू) ..... पिता .....

निवासी..... ग्राम/नगर.....

निकाय.....जिला ..... द्वारा सामूहिक

विवाह कार्यक्रम स्थान ..... दिनांक ..... को मुख्यमंत्री

कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदन को परीक्षण उपरांत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत पात्रता के सभी प्रावधानों के अनुसार पात्र पाया गया है। उपरोक्तानुसार आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आवेदिका (वधू).....एवं वर ..... को आमंत्रण दिया जाता है।

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद/

जनपद पंचायत,

जिला .....मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश शासन,  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

क्रमांक .....

दिनांक : .....

**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सम्पन्न विवाह का**

**प्रमाण-पत्र**



सौभाग्यवती.....पुत्री श्री.....

पता.....ग्राम/नगर .....

निकाय.....जिला..... म.प्र. का विवाह

श्री..... पुत्र श्री .....

पता.....ग्राम/नगर .....

निकाय.....जिला.....राज्य.....के

साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत स्थान ..... में

आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दिनांक .....को सम्पन्न हुआ।

**नव-दम्पति के सुखमय जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की  
कामना करते हैं ।**

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

निकाय का नाम/सील

.....  
जिला..... म.प्र.।